संख्या 3274/ II–2010–03(27)/2008

प्रेषक,

एन0के0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2010

विषय : जल सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अन्तर्गत योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आवटंन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3001/मु0अ0वि0/बजट/बी–1,योजना, दि0–04.08.2010 व पत्र सं0 4098/मु0अ0वि0/बजट/बी–1/योजना, दि0–10.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टौन्स नदी पर प्रस्तावित त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना (3 X 24 = 72 मेगावाट) की डी0पी0आर0 बनाने हेतु प्रारम्भिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का प्राक्कलन, जिसकी लागत ₹ 217.00 लाख है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त वर्णित परियोजना के सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु व्यय की गयी समस्त धनराशि को परियोजना की पूंजी लागत में सम्मिलित कर टैरिफ निर्धारण हेतु माना जाय ताकि अंशपूंजी के सापेक्ष लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाय।
2. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
4. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
5. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
6. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान/परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध

क्रमशः.....2

कराना सुनिश्चित करेंगे । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. स सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य 005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (किशाऊ बांध सम्मिलित करते हुए) 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 514/XXVII(2)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

संख्या 324(1)/II–2010–03(27)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. कोषाधिकारी देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. नियोजन विभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव